

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / एलआर / 2002 / 3190 / जोधपुर देवा आदि बनाम रिमजे खां आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य</p> <p>उपस्थित :- श्री विरेन्द्र सिंह राठौड़, अभिभाषक प्रार्थी अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित,</p> <p style="text-align: right;">दिनांक : 05 मार्च, 2020</p> <p style="text-align: center;">निर्णय</p> <p>1- यह निगरानी अन्तर्गत धारा-84 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर के निर्णय दिनांक 30-3-2002 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2- निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम देदिया तहसील फलौदी की आराजी खसरा नम्बर-66/1/2 रकबा 200 बीघा अप्रार्थी संख्या-1 रिमजे खां की खातेदारी में थी। रिमजे खां ने उक्त भूमि प्रार्थीगण को विक्रय कर दी और नामान्तरकरण संख्या-71 दिनांक 10-1-1987 तसदीक किया गया। उक्त नामान्तरकरण के विरुद्ध एक अपील अप्रार्थी संख्या-1 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फालौदी के समक्ष प्रस्तुत की जो कि उनके निर्णय दिनांक 4-10-1996 द्वारा निरस्त कर दी गई। उक्त निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो कि निर्णय दिनांक 30-3-2002 द्वारा स्वीकार कर ली गई। विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर के निर्णय दिनांक 30-3-2002 से व्यथित होकर</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / एलआर / 2002 / 3190 / जोधपुर देवा आदि बनाम रिमजे खां आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>3- अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से श्री आर.सी. पारीक ने अण्डरटेकिंग दी, लेकिन वकालतनामा प्रस्तुत नहीं किया। अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से श्री गिरीश पारीक ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। दिनांक 5-2-2020 को दोनों अप्रार्थी व उनके अभिभाषक के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय बहस सुनी गयी।</p> <p>4- निगरानीकर्ताओं के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि निगरानीधीन आदेश विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। रिमजे खां ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 31-3-1972 द्वारा भीखाराम व धीमाराम पुत्र गोर्धनराम से विवादित आराजी खसरा नम्बर 66/1/2 रकबा 200 बीघा क्रय की गई थी। रिमजे खां ने उक्त आराजी प्रार्थीगण को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30-12-1986 को विक्रय कर दी। इसका नामान्तरकरण संख्या-71 दिनांक 10-1-1987 तसदीक किया गया। उक्त नामान्तरकरण के विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फलौदी के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की गयी जो खारिज हो गई। द्वितीय अपील विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर ने स्वीकार कर ली। उक्त निर्णय विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। निर्णय में यह कहीं नहीं बताया गया है कि विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर ने अपील स्वीकार क्यों की? महज इतना लिख दिया कि “अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / एलआर / 2002 / 3190 / जोधपुर देवा आदि बनाम रिमजे खां आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>दलीलों व तर्कों से सहमत होने से अपील स्वीकार की जाती है।” उन्होंने यह भी नहीं बताया कि कौन से नियम व कौन से आदेशों के अनुसार वे इन तर्कों से सहमत हैं। अतः उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्तनीय है।</p> <p>5- हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।</p> <p>6- पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विवादित भूमि का विक्रय जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र हुआ है और नामान्तरकरण संख्या-71 तसदीक हो चुका है। यह कहना कि कब्जा नहीं संभलवाया गया है या प्रतिफल का भुगतान नहीं किया गया है, मान्य नहीं है क्योंकि यदि किसी को पंजीकृत विक्रय पत्र पर कोई सवाल खड़े करने हैं तो उन्हें सिविल न्यायालय में जाकर उक्त विक्रय पत्र को निरस्त करवाना चाहिये। केवल यह कह देने मात्र से कि प्रतिफल नहीं दिया गया है या कब्जा नहीं दिया गया है, स्वीकार करने योग्य नहीं है। विधि के निम्न दो सिद्धान्त सुस्थापित हैं :-</p> <p>1- पंजीकृत विक्रय पत्र को तब तक अमान्य करार नहीं दिया जा सकता है जब तक कोई सक्षम न्यायालय इसे निरस्त नहीं कर देता है।</p> <p>2- पंजीकृत विक्रय पत्र में कब्जा अन्तरण का उल्लेख मात्र ही भौतिक रूप से कब्जा अंतरण माना जायेगा। इसके लिये पृथक से कोई दस्तावेज या साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है।</p> <p>7- उपर्युक्त प्रकरण में यह साबित है कि विवादित भूमि का बेचान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र हुआ है और उस विक्रय</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / एलआर / 2002 / 3190 / जोधपुर देवा आदि बनाम रिमजे खां आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या-71 तसदीक किया जा चुका था लेकिन विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर ने नामान्तरकरण संख्या-71 एवं उपखण्ड अधिकारी का निर्णय दिनांक 4-10-1996 निरस्त कर विधि के विपरीत निर्णय पारित किया है जिसे निरस्त किया जाना विधिसम्मत है।</p> <p>8- अतः उपर्युक्त विवेचन के उपरान्त निगरानी स्वीकार की जाती है और निगरानीधीन निर्णय दिनांक 30-3-2002 निरस्त किया जाता है। नामान्तरकरण संख्या-71 दिनांक 10-1-1987 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फलौदी का निर्णय दिनांक 4-10-1996 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(हरि शंकर गोयल) सदस्य</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / एलआर / 2002 / 3190 / जोधपुर देवा आदि बनाम रिमजे खां आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए